वित्तीय स्वीकृति

संख्या-34/2021/421/18-2-2021-30(1)/2013

प्रेषक

पन्ना लाल
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग2 लखनऊ: दिनांक: 17 सितम्बर, 2021

विषयः-प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु अध्ययन/परियोजना संरचना हेतु परामर्शदाताओं/कन्सलटेन्ट को भुगतान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-167/क्लस्टर-12/कन्सलटेंसी बजट/2021-22, दिनांक 17-8-2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु अध्ययन/परियोजना संरचना हेतु परामर्शदाताओं/कन्सलटेन्ट को भुगतान योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित रू0 100.00 लाख (रूपये सौ लाख मात्र) की धनराशि मा0 राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखने एवं व्यय करने की सहर्ष सहमति प्रदान करती हैं ।

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके तात्कालिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि का आहरण कर पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित योजना की स्वीकृत मदों पर तदनुसार ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग अन्य मदों में तथा अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जायेगा।

3- लाभार्थी/इकाईयों को धनराशि का भुगतान एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से किया जायेगा। धनराशि का भुगतान चेक अथवा नगद नहीं किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि के व्यय की मदवार सूचना निर्धारित प्रारूप बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह में नियमित रूप से शासन तथा वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध करायी जायेगी। इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय शासन के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गए मितव्ययता सम्बन्धी शासनादेशों एवं इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक)

http://shastridesh.nic.up.in

अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18 मई, 2020 व कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।

6- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-3 के लेखाशीर्षक "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-24-प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु अध्ययन/परियोजना संरचना हेतु परामर्शदाताओं/कन्सलटेन्ट्स/एक्सपर्ट्स को भुगतान-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान' के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

पन्ना लाल
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, वित्तीय एंव सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, नियोजन अनुभाग-4
5- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
6- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

पन्ना लाल
संयुक्त सचिव।

http://sirasandesh.nic.up.in